श्रम विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 20 मार्च 2002

क्रमांक श्रम 01.—म. प्र. दुकान अधिनियम, 1958 (क्रमांक 25 सन 1958) की धारा 51 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जैसा कि छत्तीसगढ़ राज्य में प्रयुक्त है, राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के कॉलम (2) के वर्णित अधिकारियों को कॉलम (3) में वर्णित अधिकारिता क्षेत्र हेतु अभियोजन स्वीकृति हेतु अधिकृत करता है.

अनुसूची

अनुक्रमांक (1)	अधिकारी (2)	अधिकारिता (3)
1.	श्रमायुक्त, छत्तीसगढ़ रायपुर.	सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य
2.	उप श्रमायुक्त, श्रमायुक्त संगठन मुख्यालय रायपुर में पदस्थ	---तदैव---
3.	समस्त सहायक श्रमायुक्त	श्रम संभाग में.
4.	श्रम पदाधिकारी तथा सहायक श्रम पदाधिकारी.	श्रम उप संभागों में.

रायपुर, दिनांक 20 मार्च, 2002

क्रमांक-श्रम/02.—दुकान एवं स्थापना अधिनियम, 1958 (क्रमांक 25 सन 1958) की धारा 58 (2) सहपाठित अधिनियम, 1959 की नियम 14ए (1 ए) जैसा कि छत्तीसगढ़ राज्य में प्रयुक्त है, राज्य सरकार एतद्द्वारा समस्त सहायक श्रमायुक्तों एवं श्रम पदाधिकारियों को अपनी-अपनी अधिकारिता में अपीलीय प्राधिकारी के रूप में नियुक्त करती है.

रायपुर, दिनांक 20 मार्च, 2002

क्रमांक श्रम 03.—दुकान एवं स्थापना अधिनियम, 1958 (क्रमांक 25 सन 1958) की धारा 37 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जैसा कि छत्तीसगढ़ राज्य में प्रयुक्त है, राज्य सरकार एतद्द्वारा निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 40 की उपधारा (2) द्वारा प्रत्यायोजित शक्तियों का प्रयोग श्रमायुक्त छत्तीसगढ़ द्वारा भी की जा सकेगी.

रायपुर, दिनांक 20 मार्च 2002

क्रमांक श्रम 04.—म. प्र. दुकान एवं स्थापना अधिनियम, 1958 (क्रमांक 25 सन 1958) की धारा 13 की उपधारा (3-क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार एतद्द्वारा समस्त सहायक श्रमायुक्तों एवं श्रम पदाधिकारियों को अपनी-अपनी अधिकारिता के भीतर उक्त उपधारा के प्रयोजनों के लिए प्राधिकृत करता है.

रायपुर, दिनांक 20 मार्च 2002

क्रमांक श्रम/05.—न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 (क्रमांक 11 सन 1948) जैसा कि छत्तीसगढ़ राज्य में प्रयुक्त है, उक्त अधिनियम की धारा 18 ए द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा श्रमायुक्त को मुख्य कारखाना निरीक्षक इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए नियुक्त करती है.

रायपुर, दिनांक 20 मार्च 2002

क्रमांक श्रम/06.—न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 (क्रमांक 11 सन 1948) की धारा 19 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए जैसा कि छत्तीसगढ़ राज्य में प्रयुक्त है, राज्य सरकार एतद्द्वारा दुकान एवं स्थापना अधिनियम, 1958 (क्रमांक 11 सन 1958) की धारा 40 की उपधारा (2) के अधीन नियुक्त किये गये दुकान स्थापना के निरीक्षकों को उक्त न्यूनतम वेतन अधिनियम के प्रयोजनों के लिए निरीक्षक (इन्सपेक्टर) नियुक्त करता है, और यह निर्देश देता है कि वे उन्हें समनुदेशित क्षेत्रों के भीतर अपनी अपनी अधिकारिता का प्रयोग करेंगे.

रायपुर, दिनांक 20 मार्च 2002

क्रमांक श्रम/07.—न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 (क्रमांक 11 सन 1948) जैसा कि छत्तीसगढ़ राज्य में प्रयुक्त है, की धारा 19 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा नीचे दी गई सारणी के कालम (2) में वर्णित शक्तियों/निकायों को उक्त अधिनियम के संलग्न अनुसूची के भाग 2 में विनिर्दिष्ट कृषि में नियोजन के संबंध में उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए निरीक्षकों के रूप में नियुक्त करता है और आगे उन क्षेत्रों को जो उक्त सारणी के कालम (3) की तत्स्थानी प्रविष्टियों में वर्णित है, विनिर्दिष्ट करता है, जिनके भीतर वे अपनी-अपनी अधिकारिताओं का प्रयोग करेंगे :—

सारणी

अनुक्रमांक (1)	व्यक्ति/निकाय क्षेत्र (2)	क्षेत्र (3)
1.	समस्त विकासखण्ड अधिकारी.	वे क्षेत्र जिनमें वे विकासखण्ड अधिकारी के रूप में अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं.
2.	समस्त सहायक, अधिक्षक, भू. अभिलेख	वे क्षेत्र जिनमें वे सहायक अधीक्षक, भू. अभिलेख के रूप में अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं.

(1)	(2)	(3)
3.	समस्त नायब तहसीलदार.	वे क्षेत्र जिसमें वे नायब तहसीलदार के रूप में अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं.
4.	समस्त पंचायत इन्सपेक्टर्स.	वे क्षेत्र जिसमें वे इन्सपेक्टर के रूप में अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं.
5.	20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम विभाग के पृष्ठांकन क्रमांक 2759-20 पाइन्ट-83, दिनांक 2-12-82 में यथा निर्दिष्ट विकासखण्ड स्तर समितियां.	वे क्षेत्र जिन पर कालम 2 में निर्दिष्ट समितियों की अधिकारिता है.
6.	आदिम जाति तथा हरिजन कल्याण विभाग के सर्किल संगठक.	वे क्षेत्र जिनके भीतर वे आदिम जाति तथा कल्याण विभाग के सर्किल संगठक के रूप में अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं.
7.	मध्यप्रदेश पंचायत अधिनियम, 1981 के अंतर्गत गठित समस्त ग्राम पंचायतें.	वे क्षेत्र जिनमें वे मध्यप्रदेश पंचायत अधिनियम, 1981 के के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हैं.

रायपुर, दिनांक 20 मार्च 2002

क्रमांक श्रम/08.—न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 (क्रमांक 11 सन 1948) जैसा कि छत्तीसगढ़ राज्य में प्रयुक्त है, की धारा 18 (ए) की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा श्रमायुक्त को मुख्य निरीक्षक उक्त अधि. के प्रयोजन के लिए नियुक्त करती है.

रायपुर, दिनांक 20 मार्च, 2002

क्रमांक श्रम/09.—वेतन संदाय अधिनियम, 1936 (क्रमांक-4 सन 1936) की धारा 14 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, जैसा कि छत्तीसगढ़ राज्य में प्रयुक्त है, राज्य शासन एतद्द्वारा दुकान एवं स्थापना अधिनियम, 1958 (क्रमांक 25 सन 1958) की धारा 40 की उपधारा (2) के अधीन नियुक्त किये गये दुकान एवं स्थापना निरीक्षकों को उक्त वेतन संदाय अधिनियम के प्रयोजनों के लिए निरीक्षक (इन्सपेक्टर) नियुक्त करता है, और यह निदेश देता है कि वे अपनी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर अपने कृत्यों का प्रयोग करेंगे.

रायपुर, दिनांक 20 मार्च 2002

क्रमांक श्रम/10.—बोनस संदाय अधिनियम, 1965 (क्रमांक 21 सन् 1965) की धारा 27 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, जैसा कि वह छत्तीसगढ़ राज्य में प्रयुक्त है, राज्य शासन एतद्द्वारा, दुकान स्थापना अधिनियम, 1958 (क्रमांक 25 सन् 1958) की धारा 40 की उपधारा (2) के अधीन नियुक्त किये गये दुकान एवं स्थापना निरीक्षकों को उक्त बोनस संदाय अधिनियम के प्रयोजनों के लिए निरीक्षक (इन्सपेक्टर) नियुक्त करती है और निर्देश देता है कि वे अपने उन्हें समानुदेशित क्षेत्रों की सीमाओं के भीतर अधिकारिताओं का प्रयोग करेंगे.

रायपुर, दिनांक 20 मार्च 2002

क्रमांक श्रम/11.— उपादान भुगतान अधिनियम, 1972 (क. 39 सन 1972) की धारा 7 (अ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए सभी व्यक्तियों को जो कि दुकान एवं स्थापना अधिनियम, 1958 (क्रमांक 25 सन 1958) की धारा 40 की उपधारा (2) के अंतर्गत निरीक्षक नियुक्त है, को उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए निरीक्षकों के रूप में नियुक्त करता है और आगे यह निर्देशित करता है कि वे स्थानीय सीमा के भीतर अपनी-अपनी अधिकारिताओं का प्रयोग करेंगे.

रायपुर, दिनांक 20 मार्च 2002

क्रमांक श्रम/12.—उपादान भुगतान अधिनियम, 1972 (क्र. 39 सन 1972) की धारा 7 (अ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा द्वारा नीचे दी गई अनुसूची के स्तंभ (2) में वर्णित पदाधिकारियों के उक्त वर्णित अनुसूची के स्तंभ क्रमांक (3) की तत्स्थानी प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों के लिए नियंत्रक प्राधिकारियों के रूप में नियुक्त करती है.

अनुसूची

क्रमांक	पदाधिकारी	क्षेत्र
(1)	(2)	(3)
1.	समस्त सहायक श्रमायुक्त	संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य
2.	समस्त श्रम पदाधिकारी	—तदैव—

रायपुर, दिनांक 20 मार्च 2002

क्रमांक श्रम/13.—उपादान भुगतान अधिनियम 1972 (क्र. 39 सन 1972) की धारा 7 (2)(ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा उप श्रमायुक्त मुख्यालय रायपुर को

सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य के लिए अपीलीय प्राधिकारी नियुक्त करता है.

रायपुर, दिनांक 20 मार्च 2002

क्रमांक श्रम 14.—छत्तीसगढ़ राज्य को लागू हुए रूप में ठेका श्रमिक (विनियमन एवं समाप्ति) अधिनियम, 1970 (क्रमांक 37 सन् 1970) की धारा 6, 12 एवं 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा प्रदेश में समस्त सहायक श्रमायुक्तों एवं श्रम पदाधिकारियों को उक्त अधिनियम की अध्याय 3 एवं 4 के प्रयोजन के लिए क्रमशः पंजीयन तथा अनुज्ञापन अधिकारी के रूप में नियुक्त करता है एवं उप श्रमायुक्त (मुख्यालय) को अपीलीय अधिकारी नियुक्त करता है और यह निर्देश देता है कि ये उक्त अधिनियम के अंतर्गत पंजीयन अनुज्ञापन या अपीलीय अधिकारी जैसी भी स्थिति हो, की शक्तियों का प्रयोग अपने क्षेत्रों की सीमा में करेंगे.

रायपुर, दिनांक 20 मार्च 2002

क्रमांक श्रम 15.—छत्तीसगढ़ राज्य को लागू हुए रूप में ठेका श्रम (विनियम एवं उत्पादन) अधिनियम, 1970 (क्रमांक 37 सन् 1970) की धारा 28 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा दुकान स्थापना अधिनियम, 1958 (क्रमांक 25 सन् 1958) की धारा 40 की उपधारा (2) के अधीन नियुक्त दुकान तथा स्थापनाओं में निरीक्षकों के प्रथम वर्णित एक्ट के प्रयोजनों के लिए निरीक्षकों के रूप में नियुक्त करता है और निर्देश देता है कि वे पूर्व वर्णित एक्ट के अधीन अपनी-अपनी शक्तियों का प्रयोग अपनी अपनी अधिकारिताओं की स्थानीय सीमाओं के भीतर करेंगे.

रायपुर, दिनांक 20 मार्च 2002

क्रमांक श्रम 16.—अन्तर्राज्यीय प्रवासी कर्मकार (नियोजन विनियमन तथा सेवा शर्तें) अधिनियम, 1979 (1979 की संख्या 30) की धारा 20 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, जैसा कि छत्तीसगढ़ शासन में प्रयुक्त है, राज्य सरकार एतद्द्वारा दुकान स्थापना अधिनियम, 1958 (क्रमांक 25 सन् 1958) की धारा 40 के अधीन नियुक्त किये गये समस्त निरीक्षकों को अन्तर्राज्यीय प्रवासी कर्मकार (नियोजन विनियमन तथा सेवा शर्तें) अधिनियम, 1979 (1979 की संख्या 30) के प्रयोजनों के लिए निरीक्षक के रूप में नियुक्त करती है, तथा दुकान स्थापना अधिनियम, 1958 (क्रमांक 25 सन् 1958) की धारा 40 के अधीन उनको समानुदेशित की गई, स्थानीय सीमाओं को उन स्थानीय सीमाओं के रूप में परिनिश्चित करती है, जिसके भीतर वे अन्तर्राज्यीय प्रवासी कर्मकार (नि. वि. तथा से. श.) अधिनियम, 1979 (क्रमांक 30 सन् 1979) के अधीन उनकी शक्तियों का प्रयोग करेंगे.

रायपुर, दिनांक 20 मार्च 2002

क्रमांक श्रम 17.—अंतर्राज्यीय प्रवासी कर्मकार (नियोजन का विनियमन तथा सेवा शर्तें) अधिनियम, 1979 (क्रमांक 30 सन् 1979) की धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, जैसा कि छत्तीसगढ़ शासन में प्रयुक्त है, राज्य सरकार एतद्द्वारा समस्त सहायक श्रमायुक्तों एवं समस्त श्रम पदाधिकारियों को अनुज्ञापन अधिकारी नियुक्त करता है, जो उनकी अपनी-अपनी अधिकारिता के विनिर्दिष्ट क्षेत्रों के भीतर शक्तियां प्रयोग करेंगे.

रायपुर, दिनांक 20 मार्च 2002

क्रमांक श्रम 18.—अन्तर्राज्यीय प्रवासी कर्मकार (नियोजन का विनियमन तथा सेवा शर्तें) अधिनियम, 1979 (क्रमांक 30 सन् 1979) जैसा कि छत्तीसगढ़ शासन में प्रयुक्त है, की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद्द्वारा समस्त सहायक श्रमायुक्तों एवं समस्त श्रम पदाधिकारियों को पंजीयन अधिकारी नियुक्त करता है, जो उनकी अपनी-अपनी अधिकारिता के विनिर्दिष्ट क्षेत्रों के भीतर शक्तियां प्रयोग करेंगे.

रायपुर, दिनांक 20 मार्च 2002

क्रमांक श्रम/19.अन्तर्राज्यीय प्रवासी कर्मकार (नियोजन का विनियमन तथा सेवा शर्तें) अधिनियम, 1979 (क्रमांक 30 सन् 1979) की धारा 11 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, जैसा कि छत्तीसगढ़ शासन में प्रयुक्त है, राज्य सरकार एतद्द्वारा उप श्रमायुक्त मुख्यालय को छत्तीसगढ़ राज्य के लिए अपीलीय प्राधिकारी नियुक्त करती है.

रायपुर, दिनांक 20 मार्च 2002

क्रमांक श्रम/20.—अन्तर्राज्यीय प्रवासी कर्मकार (नियोजन का विनियमन तथा सेवा शर्तें) अधिनियम, 1979 (क्रमांक 30 सन् 1979) जैसा कि छत्तीसगढ़ शासन में प्रयुक्त है, की धारा 12 की उपधारा (2) के स्पष्टीकरण द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की धारा-7 के अधीन नियुक्त किये गये अनुज्ञापन अधिकारियों को विनिर्दिष्ट करती है, जो उनकी अपनी-अपनी अधिकारिता के भीतर उसकी धारा 12 तथा 16 के प्रयोजन के लिए विनिर्दिष्ट प्राधिकारी होंगे.

रायपुर, दिनांक 20 मार्च 2002

क्रमांक श्रम/21.—छत्तीसगढ़ राज्य को लागू हुए रूप में कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम, 1923 (क्रमांक 8 सन् 1923) की धारा 20 उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा म. प्र. औद्योगिक संबंध अधिनियम, 1960 द्वारा

नियुक्त समस्त सहायक श्रमायुक्तों को उस अधिनियम के अधीन कर्मकारों के क्षतिपूर्ति के लिए अपनी अपनी अधिकारिता हेतु आयुक्त नियुक्त करता है.

रायपुर, दिनांक 20 मार्च, 2002

क्रमांक श्रम 22.—बाल श्रमिक (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 की धारा 17 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग, जैसा कि वह छत्तीसगढ़ राज्य में प्रयुक्त है, राज्य शासन एतद्द्वारा दुकान एवं स्थापना अधिनियम, 1958 (क्रमांक 25 सन 1958) की धारा 40 की उपधारा (2) के अधीन नियुक्त किये गये निरीक्षकों को अपनी-अपनी अधिकारिता की सीमाओं के भीतर, बाल श्रमिक अधिनियम की उपबंधों का पालन सुनिश्चित करने के प्रयोजन के लिए निरीक्षक (इन्सपेक्टर) के रूप में नियुक्त करता है.

रायपुर, दिनांक 20 मार्च 2002

क्रमांक श्रम 23.—छत्तीसगढ़ राज्य को लागू हुए रूप में बाल श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत सर्वेक्षण में पाये गये बाल श्रमिकों के संबंध में दोषी नियोजकों से क्षतिपूर्ति की राशि रुपये 20,000/-, (शब्दों में रु. बीस हजार मात्र) वसूलने के लिए आर. आर. सी. जारी करने के पूर्व नियोजकों की सुनवाई का अवसर प्रदान करने के लिए अधिनियम की धारा 17 के अंतर्गत समस्त सहायक श्रमायुक्तों एवं श्रम पदाधिकारियों को सुनवाई उपरान्त पारित करने के लिए अधिकृत किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 20 मार्च 2002

क्रमांक श्रम/24.—छत्तीसगढ़ राज्य को लागू हुए रूप में विक्रय संवर्धन कर्मकार सेवा शर्तें अधिनियम, 1976 (क्रमांक 11 सन् 1976) (जो इसमें इसके पश्चात् केन्द्रीय अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) की धारा 8 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद्द्वारा दुकान एवं स्थापना अधिनियम, 1958 (क्रमांक 25 सन् 1958) जो उसमें इसके पश्चात् राज्य अधिनियम के रूप में निर्दिष्ट है, की धारा 40 की उपधारा (2) के अधीन नियुक्त किये गये निरीक्षकों को केन्द्रीय अधिनियम के प्रयोजनों के लिए निरीक्षक नियुक्त करती है, और राज्य अधिनियम के अधीन अपनी अधिकारिता के भीतर समाविष्ट क्षेत्र की स्थानीय सीमाओं के भीतर केन्द्रीय अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों का प्रयोग करेंगे.

रायपुर, दिनांक 20 मार्च, 2002

क्रमांक श्रम/25.—छत्तीसगढ़ राज्य को लागू हुए रूप में समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 (क्रमांक 25 सन 1976) की धारा 9 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद्द्वारा म. प्र. दुकान एवं स्थापना अधिनियम, 1958 (क्रमांक 25 सन 1958) की धारा 40 की उपधारा (2) के अधीन नियुक्त किये गये दुकान एवं स्थापना निरीक्षकों को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए निरीक्षक नियुक्त करता है.

रायपुर, दिनांक 20 मार्च 2002

क्रमांक श्रम/26.—छत्तीसगढ़ राज्य को लागू हुए रूप में समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 (क्रमांक 25 सन् 1976) की धारा 12 की उपधारा (2) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद्द्वारा समस्त श्रम निरीक्षकों को जिन्हें उक्त अधिनियम की धारा 10 के अधीन निरीक्षक नियुक्त किया गया है, को अधिनियम की धारा (10) के अंतर्गत अपराधों के संबंध में शिकायत दायर करने के लिए अधिकृत करता है.

रायपुर, दिनांक 20 मार्च 2002

क्रमांक श्रम/27.—छत्तीसगढ़ राज्य को लागू हुए रूप में समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 (क्रमांक 25 सन 1976) की धारा 7 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद्द्वारा समस्त सहायक श्रमायुक्तों तथा श्रम अधिकारियों को अपनी-अपनी अधिकारिता की सीमाओं के भीतर उक्त अधिनियम के अधीन शिकायतों तथा दावों की सुनवाई करने तथा विनिश्चित करने के लिए प्राधिकारियों के रूप में नियुक्त करती है.

रायपुर, दिनांक 20 मार्च 2002

क्रमांक श्रम/28.—छत्तीसगढ़ राज्य को लागू हुए रूप में समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 (क्रमांक 25 सन 1976) की धारा 12 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद्द्वारा श्रम आयुक्त छत्तीसगढ़, रायपुर को अधिनियम के अंतर्गत अभियोजन स्वीकृत करने के लिए प्राधिकृत करता है.

रायपुर, दिनांक 20 मार्च 2002

क्रमांक श्रम/29.—छत्तीसगढ़ राज्य को लागू हुए रूप में समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 (क्रमांक 25 सन 1976) की धारा 7 की उपधारा (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद्द्वारा उप श्रमायुक्त (मुख्यालय) छत्तीसगढ़, रायपुर को अपीलीय प्राधिकारी के रूप में नियुक्त करता है.

रायपुर, दिनांक 20 मार्च 2002

क्रमांक श्रम/30.—छत्तीसगढ़ राज्य को लागू हुए रूप में प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 1961 (क्रमांक 53 सन् 1961) की धारा 14 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए छत्तीसगढ़ शासन, एतद्द्वारा म. प्र. दुकान एवं स्थापना अधिनियम, 1958 की धारा 40 की उपधारा (2) के अधीन नियुक्त समस्त निरीक्षकों को प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 1961 के प्रयोजन के लिए निरीक्षक के रूप में क्षेत्राधिकारों की उन्हीं स्थानीय सीमाओं के लिए जिनके लिए वे दुकान एवं स्थापना अधिनियम, 1958 के अधीन निरीक्षक हैं, नियुक्त करता है.

रायपुर, दिनांक 20 मार्च 2002

क्रमांक श्रम/31.—प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 1961 (क्रमांक 53 सन 1961) की धारा 28 तथा उसके अधीन बनाये गये म. प्र. प्रसूति प्रसुविधा नियम 1965 जैसा कि छत्तीसगढ़ राज्य में प्रयुक्त है, राज्य सरकार एतद्द्वारा उक्त अधिनियम के नियम 8 में अंतर्विष्ट अन्य स्थापनाओं के प्रयोजन हेतु समस्त सहायक श्रमायुक्तों तथा श्रम पदाधिकारियों को सक्षम प्राधिकारी नियुक्त करता है.

रायपुर, दिनांक 20 मार्च 2002

क्रमांक श्रम/32.—मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम, 1961 (क्रमांक 27 सन् 1961) की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए जैसा कि छत्तीसगढ़ राज्य में प्रयुक्त है, राज्य शासन एतद्द्वारा दुकान एवं स्थापना अधिनियम, 1958 (क्रमांक 25 सन् 1958) की धारा-40 की उपधारा (2) के अधीन नियुक्त किये गये दुकान एवं स्थापना निरीक्षकों को उक्त मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम के प्रयोजन के लिए निरीक्षक (इन्सपेक्टर) नियुक्त करता है.

रायपुर, दिनांक 20 मार्च 2002

क्रमांक श्रम/33.—मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम, 1961 (क्रमांक 20 सन 1961) की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए जैसा कि छत्तीसगढ़ राज्य में प्रयुक्त है, राज्य शासन एतद्द्वारा श्रमायुक्त, छत्तीसगढ़ शासन रायपुर को मुख्य कारखाना निरीक्षक नियुक्त करता है.

रायपुर, दिनांक 20 मार्च 2002

क्रमांक श्रम/34.—छत्तीसगढ़ राज्य को लागू हुए रूप में बीड़ी एवं सिगार कर्मकार (नियोजन एवं शर्तें) अधिनियम, 1966 (क्रमांक 32 सन 1966) की धारा 6 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा दुकान एवं स्थापना अधिनियम, 1958 (क्रमांक 25 सन 1958) की धारा 40 की उपधारा (2) के अधीन समस्त निरीक्षकों को बीड़ी एवं सिगार कर्मकार (नियोजन की शर्तें) अधिनियम, 1966 के प्रयोजन के लिए निरीक्षक के रूप में क्षेत्राधिकारों की उन्हीं स्थानीय सीमाओं के लिए, जिनके लिए वे दुकान एवं स्थापना अधिनियम, 1958 के अधीन निरीक्षक हैं, नियुक्त करता है.

रायपुर, दिनांक 20 मार्च 2002

क्रमांक श्रम/35.—बीड़ी एवं सिगार कामगार (नियोजन एवं शर्तें) अधिनियम, 1966 की धारा 31 की उपधारा 2 ए द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा समस्त सहायक श्रमायुक्तों एवं पदाधिकारियों को उक्त अधिनियम के प्रयोजन हेतु अपीलीय अधिकारी नियुक्त करता है.

रायपुर, दिनांक 20 मार्च 2002

क्रमांक श्रम/36.—श्रमजीवी पत्रकार (सेवा की शर्तें) और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1955 (क्रमांक 45 सन 1955) की धारा 17 बी. की उपधारा (1) में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में राज्य शासन एतद्द्वारा श्रम आयुक्त, छत्तीसगढ़ रायपुर को उक्त उपधारा के अधीन राज्य शासन को प्रस्तुत किये गये आवेदन पत्रों का विनिश्चियन करने तथा आवेदक को देय रकम की वसूली करने के लिए प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु प्राधिकारी के रूप में विनिर्दिष्ट करता है.

रायपुर, दिनांक 20 मार्च 2002

क्रमांक श्रम/37.—छत्तीसगढ़ राज्य को लागू हुए रूप में कारखाना अधिनियम, 1948 (क्रमांक 63 सन 1948) की धारा 8 उपधारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की अध्याय तथा छूट देने की शक्ति के अलावा के प्रयोजन के लिए अनुसूची के कालम 3 में विनिर्दिष्ट कार्यक्षेत्र के लिए कालम 2 में उल्लेखित पदाधिकारियों को (एडीशनल इन्सपेक्टर) नियुक्त करता है.

अनुसूची

क्रमांक (1)	पदाधिकारी (2)	क्षेत्र (3)
1.	श्रम आयुक्त	संपूर्ण छत्तीसगढ़
2.	उप श्रमायुक्त (मुख्यालय)	--तदैव--
3.	सहायक श्रमायुक्त (मुख्यालय)	--तदैव--
4.	श्रम पदाधिकारी (मुख्यालय)	--तदैव--
5.	श्रम विभाग के समस्त अधिकारी जो सहायक श्रम पदाधिकारी से निम्न पद श्रेणी का न हो.	उनके कार्य क्षेत्र के सीमा में.

रायपुर, दिनांक 20 मार्च 2002

क्रमांक श्रम/38.—श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1982 (क्रमांक सन 1982) की उपधारा (1) धारा 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जैसा कि छत्तीसगढ़ राज्य में प्रयुक्त है, राज्य सरकार एतद्द्वारा म. प्र. दुकान एवं स्थापना अधिनियम, 1958 (क्रमांक 25 सन 1958) की धारा 40 के अधीन नियुक्त किए गये

निरीक्षकों को श्रम कल्याण निधि अधिनियम के लिए उनके समानुदेशित की गई स्थानीय सीमाओं के लिए निरीक्षक नियुक्त करता है.

रायपुर, दिनांक 20 मार्च 2002

क्रमांक श्रम/39.—छत्तीसगढ़ राज्य को लागू हुए रूप में म. प्र. श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1982 (क्रमांक 36 सन् 1982) की धारा 24 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा समस्त सहायक श्रमायुक्तों तथा श्रम अधिकारियों को उनकी अपनी अपनी अधिकारिता में, उक्त अधिनियम की धारा 24 की उपधारा (1) के अधीन देय राशियों की वसूली के लिए भू-राजस्व संहिता 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा (4) के अधीन तहसीलदार की शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करती है.

2. यह अधिसूचना छत्तीसगढ़ राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी.

रायपुर, दिनांक 20 मार्च 2002

क्रमांक श्रम/40.—श्रम जीवी पत्रकार (सेवा की शर्तें) और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1955 (क्रमांक 45 सन् 1955) की धारा 17 बी. की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, जैसा कि छत्तीसगढ़ राज्य में प्रयुक्त है, राज्य शासन एतद्द्वारा दुकान एवं स्थापना अधिनियम, 1958 (क्रमांक 25 सन् 1958) की धारा 40 की उपधारा (2) के अधीन नियुक्त किये गये दुकान स्थापना निरीक्षकों को उक्त श्रमजीवी पत्रकार (सेवा की शर्तें) और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1955 के प्रयोजनों के लिए निरीक्षक नियुक्त करता है और यह निर्देश देता है कि वे अपनी-अपनी अधिकारिताओं के स्थानीय सीमाओं के भीतर अपने कृत्यों का पालन करेंगे.

रायपुर, दिनांक 20 मार्च 2002

क्रमांक श्रम/41.—वेतन भुगतान अधिनियम, 1936 (क्रमांक 4 सन 1936) की धारा 15 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए छत्तीसगढ़ राज्य में प्रयुक्त रूप में, राज्य सरकार एतद्द्वारा कर्मकार प्रतिकार के समस्त आयुक्तों को जो अधिसूचना क्रमांक 2012/3426/श्रम/2001 दिनांक 17-09-2001 द्वारा सिविल न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किये गये थे, मजदूरी में से की गई कटौतियों से या मजदूरी के संदाय में हुए विलंब से उद्भूत दावों की जिनमें उक्त अधिनियम की धारा 15 (1) के अधीन ऐसे दावों के अनुषांगिक समस्त मामले सम्मिलित हैं, की सुनवाई करने और उनकी अपनी-अपनी अधिकारिता के क्षेत्र के भीतर शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकारी के रूप में नियुक्त करती है.

रायपुर, दिनांक 21 सितम्बर 2001

क्रं. 2121/3019/श्रम/2001 म.प्र. राज्य में पुनर्गठन अधिनियम 2000 (क्रमांक 28 सन् 2000 की धारा 79 एवं म.प्र. औद्योगिक संबंध अधिनियम 1960 (क्रमांक 27 सन् 1960) की धारा 2 (23) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग, प्रयोग करते हुए राज्य शासन एतद् द्वारा इस संबंध में पूर्व प्रसारित समस्त सूचनाओं को छत्तीसगढ़ राज्य के प्रयोजन के लिए निष्प्रभावी करते हुए निचे दी गई अनुसूची के काल्म (1) में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों को उक्त अनुसूची के काल्म (2) की तत्स्थानी प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट उद्योगों के लिए म.प्र. औद्योगिक संबंध अधिनियम 1960 (क्रमांक 27 सन् 1960) के समस्त प्रयोजनों के लिए स्थानीय क्षेत्र के रूप में अधिसूचित करता है :-

अनुसूची

क्र.	क्षेत्र 1	क्र.	उद्योग 2
1	सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य	1	विद्युत उत्पादन-पारेषण तथा वितरण
		2.	लोक मोटर परिवहन
2	छत्तीसगढ़ के प्रत्येक राजस्व जिले में समाविष्ट क्षेत्र	1.	वस्त्र उद्योग जिस औद्योगिक विकास क्षेत्र एवं विनियम अधिनियम 1951 की प्रथम अनुसूची की कंडिका 23 में दर्शाया गया है.
		2.	लोहा एवं इस्पात
		3.	विद्युत सामाग्री जिसमें विद्युतउत्पादन, सम्प्रेषण एवं वितरण में लगानेवाले उपकरण सम्मिलित हैं.
		4.	शक्कर एवं उसके उप-उत्पादन जिसमें :- (1) शक्कर उत्पादन के साथ संलग्न कृषि भूमि जिसमें गन्ना पैदा किया जा रहा है, एवं (2) समस्त कृषि एवं औद्योगिक कार्य जो उस उत्पादन के लिए गन्ने की पैदावार से संबंधित हो, सम्मिलित है.
		5.	चांवल मिल
		6.	तेल मिल

1	2
	7. सिमेन्ट.
	8. पाटरीज.
	9. चूना उद्योग.
	10. प्रिंटिंग प्रेस.
	11. कागज एवं स्ट्रा-बोर्ड.
	12. एसबेस्टास सिमेंट.
	13. शैलाक (चपड़ा)
	14. राज्य सरकार के किसीविभाग द्वारा चलाए जा रहे इंजीनियरिंग उद्योग को अपवर्जित करते हुए इंजीनियरिंग जिसमें मोटर यान सम्मिलित हैं.
	15. फ्लोअर मिल.
	16. बिस्किट एवं कन्फैक्सनरी
	17. ग्लास (कॉंच).
	18. स्टार्च.
	19. वेनस्पति घी (डाईड्रोनेटेड ऑईल)
	20. रबर.
	21. सेरेमिक्स जिसमें उच्च तापसः वस्तुएं फायर ब्रिकस, सेनेटरी वेयर्स,इन्सलेटर्स,टाईल्स, स्टोन,वेयर्स,पाईप्स,फारनेस लाईनिंग ब्रिक्स, सम्मिलित है.
	22. केमिकल एवं केमिकल उत्पादन.
	23. नॉनमेटलिक मिनरल उत्पादन.
	24. अल्युमिनियम उद्योग.
	25. जिलेटिंग उद्योग.
	26. लेदर टेनरीज.
	27. फर्टिलाइजर्स जिन्हें उद्योग विकास एवं विनिमय अधिनियम 1951 की प्रथम अनुसूची की कंडिका 18 में दर्शाया गया है.
	28. ड्रग्स एवं फार्मास्युटिकल्स जिन्हें उद्योग विकास एवं विनिमय अधिनियम 1951 की प्रथम अनुसूची की कंडिका 22 में दर्शाया गया है.
	29. फर्मनटेशन जिसे उद्योग विकास एवं विनिमयन अधिनियम 1951 की प्रथम अनुसूची की कंडिका 26 में दर्शाया गया है.
	30. डेयरी प्रोडक्ट्स का उत्पादन एवं वितरण.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए.एन.राव, अवर सचिव

रायपुर, दिनांक 20 मार्च 2002

क्रमांक श्रम/42.—न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 (क्रमांक 11 सन् 1948) जैसा कि छत्तीसगढ़ राज्य में प्रयुक्त है, की धारा 27 बी द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा धारा 5 की उपधारा 2 के अधीन शक्तियों के प्रयोग करने संबंधी निर्देश देता है कि, उनका प्रयोग श्रमायुक्त छत्तीसगढ़ द्वारा भी की जा सकेगी.

रायपुर, दिनांक 20 मार्च 2002

क्रमांक श्रम/43.— मैं एम. एस. मूर्ति, श्रमायुक्त, छत्तीसगढ़ शासन के श्रम विभागीय आदेश क्रमांक 473-7258 सोलह, दिनांक 24 जनवरी 1961 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, एतद्द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए. एतद्द्वारा दुकान स्थापना अधिनियम, 1958 (क्रमांक 25 सन् 1958) की धारा 40 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्न अनुसूची के स्तंभ क्रमांक (2) में दर्शाये गए पदाधिकारी व्यक्तियों का नाम या पद जैसी भी स्थिति हो, से उसी सारणी के स्तंभ क्रमांक (3) में दर्शाये गए स्थानीय क्षेत्रों के लिए निरीक्षक नियुक्त करता हूँ.

अनुसूची

अनुक्रमांक (1)	नियुक्त व्यक्तियों के नाम अथवा पदनाम (2)	अधिकार क्षेत्र (3)
एक.	समस्त उप श्रम निरीक्षक	संपूर्ण राज्य में सभी स्थानीय क्षेत्रों एवं सभी प्रकार के संस्थानों के लिए जिन पर कि यह अधिनियम लागू होती है. अपने-अपने कार्य क्षेत्र की सीमाओं में.
दो.	समस्त श्रम निरीक्षक	-----तदैव-----
तीन.	श्रम विभाग के समस्त	-----तदैव----- अधिकारीगण जो कि सहायक श्रम पदाधिकारी की श्रेणी के नीचे का न हो.

स्पष्टीकरण :-

समस्त पदाधिकारी जो सहायक श्रम पदाधिकारी की श्रेणी से कम नहीं है, का तात्पर्य उप श्रमायुक्त, सहायक श्रमायुक्त, मुख्य निरीक्षक, मोटर यातायात श्रमिक एवं मुख्य निरीक्षक, न्यूनतम वेतन अधिनियम श्रम पदाधिकारी तथा सहायक श्रम पदाधिकारी से है.

रायपुर, दिनांक 20 मार्च 2002

क्रमांक श्रम/44.— म. प्र. दुकान अधिनियम, 1958 (क्रमांक 25 सन् 1958) की धारा 53 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जैसा कि यह प्रदेश में प्रयुक्त है, मैं एम. एस. मूर्ति, श्रम आयुक्त छत्तीसगढ़ रायपुर एतद्द्वारा समस्त सहायक श्रम आयुक्तों एवं श्रम पदाधिकारियों के उनसे संबंधित श्रम कार्यालयों में उक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम की धारा 6 के प्रावधानों के उल्लंघन से संबंधित प्रकरणों में समझौता करने हेतु प्राधिकृत करता हूं.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. एस. मूर्ति, सचिव.